कार्यालय : जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर

निविदा सूचना

कमांक : लेखा/ 108 दिनांक : 25.5.22

इस न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय **सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. पावटा जिला जयपुर** के लिये प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड कम्प्यूटर मय प्रिंटर व यू.पी.एस (अनुमानित लागत 180000/– रुपये) हेतु अधिकृत निर्माताओं/डीलरों/विक्रेताओं से मोहरबंद लिफाफे में सीमित निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में लेखा शाखा में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

क.स.	नाम आईटम मय विवरण	मात्रा
1	COMPUTER CUM PRINTER	3
2	LASER PRINTER	
3	UPS 2KV	

विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/jaipur तथा http://sppp.rajasthaan.gov.in पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

निविदा प्रपत्र मूल्य 200/– रुपये एवं बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत होगी। निविदाएँ दिनांक 26.05.2022 प्रातः 08.00 बजे से दि 06.06.2022 दोपहर 10.00 पीएम तक बेची जाकर दिनांक 06.06.2022 को दोपहर 11.00 बजे तक निविदाए स्वीकार की जायेंगी तथा प्राप्त निविदायें दिनांक 06.06.2022 को ही दोपहर बाद 12.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में खोली जायेंगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाईट http://ecourts.gov.in/jaipur तथा http://sppp.rajasthaan.gov.in पर भी देखी जा सकेंगी। वेबसाईट से फार्म लेने की दशा में फार्म जमा कराते समय उसमें निविदा प्रपत्र मूल्य 200/– रुपये व बोली प्रतिभूति राशि का डीडी अवश्य लगावें अन्यथा निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

अध्यक्ष (कय समिति)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
कम–2, जयपुर जिला, जयपुर

कमांक : लेखा/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर
2– प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर
3– प्रभारी अधिकारी, स्टोर, जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर
4– सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा को विभाग की वैबसाईट http://ecourts.gov.in/jaipur तथा http://sppp.rajasthaan.gov.in पर अपलोड़ करने हेतु।
5– सहायक नाजिर, कार्यालय हाजा को 07 प्रतियों में इन कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर रिपोर्ट पेश करने हेतु–जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला/जिला एंव सैशन न्यायालय , जयपुर महानगर/जिला कलेक्ट्रेट जयपुर/सूचना केन्द्र, जयपुर/संभागीय आयुक्त मिनी सचिवालय जयपुर/कोषालय, जयपुर शहर
6– कोषालय, जयपुर शहर

अध्यक्ष (कय समिति)
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
कम–2, जयपुर जिला, जयपुर

कार्यालय–जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला,जयपुर

निविदा प्रारूप

निविदा पत्र शुल्क रूपये 200/–
(वापसी योग्य नहीं)

1–नाम एवं पता निविदाकार फर्म/संस्थान	:––––––––––––––––––––
2–फोन नंबर/मोबाईल नंबर	:––––––––––––––––––––
3–निविदा का नाम0	**Tender for purchase of Computer cum printer & ups for MJM PAOTA DUDU, JAIPUR**
4–निविदा की अनुमानित लागत	: 180000/–
5–बोली प्रतिभूति रू	: 900 (एसएसआई यूनिट) / 3600 अन्य
6–निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	: दि 26.05.2022 को प्रातः 08.00 बजे से 06.06.2022 को प्रातः 10.00 बजे तक
7–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	: दि. 06.06.2022 को 11.00 ए.एम तक
8–निविदा खोलने की तिथि	दि. 06.06.2022 को अपराह्न 12.30 पी.एम
9–आयकर पैन नंबर/जीएसटी सर्टिफिकेट	:–––––––––––––––––
10–बोली प्रतिभूति राशि का विवरण	:डीडी नंबर–––––– दिनांक–––– राशि रू ––––––––––– बैंक नाम–––––––––––––––

अध्यक्ष,
क्रय समिति
जिला एवं सैशन न्यायालय
जयपुर जिला, जयपुर

क सं	नाम आईटम मय विवरण	No of item	Rate per computer cum printer and ups in Rs. including taxes and other ex, if any.
01	**OS:** **01- WINDOWS** **02- UBUNTU** **COMPUTER SPECIFICATIONS:** PROCESSER i5 10TH GENERATION HARD DISK - 512 SSD / TB HDD RAM 8GB (DDR 4) MONITOR 18" WITH KEYBOARD AND MOUSE **PRINTER SPECIFICATION:** TYPE: LASER PRINTER/ MONOCHROME PRINTING OUTPUT OS: UBUNTU SUPPORT: UBUNTU 16, 18 20 **UPS- 2KVA**	**03**	

Note :- The design and all required materials will have to be got approved by the purchase committee.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा के प्रतिबंध व शर्तें

निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर इन शर्तों के पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें।

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा (कमरा नंबर 101डी) में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा की शर्तें भी कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा में देखी जा सकती है।
2. निविदायें पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद लिफाफे में भेजी जानी हैं। लिफाफे पर **"कम्प्यूटर मय प्रिंटर आदि के लिये निविदा"** स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिये। निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
3. निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त निविदायें **दिनांक 06.06.2022** को **सायं 12.30** बजे इच्छुक उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोली जावेगी।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के अनुरूप **दो प्रतिशत राशि का बैंकर्स चैक/डीडी** जो कि **जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर** के नाम से देय हो, के रूप में बोली प्रतिभूति हेतु निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पहले प्रस्ताव को वापिस लेता है या रूपान्तरण करता है या विहित करार निष्पादित नहीं करता है या निविदा स्वीकार करने के बाद या आदेशित सामग्री की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. यदि कोई निविदा प्रपत्र बिना बोली प्रतिभूति के अथवा निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि से कम का पाया जाता है तो उसे बिना कारण बताये जाने अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
8. सभी असफल निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा बोली प्रतिभूति निविदा के सफल निस्तारण के पश्चात लौटा दी जावेगी तथा इसके लिये किसी प्रकार का ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।
9. सशर्त, अपूर्ण, भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली, अल्प वैधता वाली निविदायें स्वीकार्य नहीं होंगी।
10. निविदा प्रपत्र में दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में बिना कांट-छांट स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिये। कांट-छांट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी तथा **दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. दी जानी चाहिये** तथा सभी कर एवं लागतें मय **Handling Charges** समाहित होनी चाहिये।

11. निविदा प्रपत्र के साथ पैन नंबर एवं जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिये।

12. निविदादाता को निर्माता/अधिकृत विक्रेता/डीलर होने का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

13. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात 05 दिवस के भीतर नियमानुसार निर्धारित राशि 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंद्ध प्रस्तुत करना होगा।

14. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही संपादित करेगा। निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों के मद की सप्लाई का अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा/सबलैट नहीं करेगा।

15. क्रय समिति को कार्य की प्रकृति/निविदा वस्तुओं की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्तालाप/नेगोसिएशन के लिये बुलाने के लिये स्वतंत्र होगी।

16. निविदा में मांगी गयी सामग्री का पूर्ण विवरण (मेक, ब्रॉण्ड, स्पेसिफिकेशन आदि) देना होगा।

17. यदि माल की आपूर्ति क्रेता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी निविदा/संविदा किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

18. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टिकरण करना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

19. क्रय आदेश जारी किये जाने के बाद माल की आपूर्ति निर्धारित समयावधि में की जानी होगी। माल की सप्लाई आदेशानुसार या समय पर नहीं होने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं कार्यालय को होने वाली वित्तीय क्षति का उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा।

20. संबंधित फर्म को सामग्री की आपूर्ति कार्यालय आदेश प्राप्ति पर शीघ्र संपूर्ण करनी होगी। निविदा में वर्णित दरों के संबंध में बाजार में किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि होती है तो इसकी जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी।

21. यदि क्रेता अधिकारी निविदत्त सामग्री की खरीद नहीं करता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम क्रय करता है तो निविदादाता किसी प्रकार क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। क्रय समिति विज्ञप्ति में दी गयी मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करते हुए क्रय कर सकती है।

22. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।

23. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर शास्ति (लिक्विडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पॉच प्रतिशत।

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का साढे सात प्रतिशत।

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत।

24. सामग्री प्रदान में विलम्ब की अवधि की गणना के लिये आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा एवं शास्ति की अधिकतम राशि दस प्रतिशत होगी।

25. सप्लाई की गयी सामग्री निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधार कर/बदल कर देनी होगी अथवा उसका लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा। इसके अलावा कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी।

26. आपूर्तिकर्ता फर्म को सप्लाई किये जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

27. किसी भी विवाद की स्थिति में क्रय समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

28. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहॉ आवश्यक हो राजस्थान सरकार के General Financial and Accounts Rules , Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 तथा RTTP Act 2012 के प्रावधान यथा स्थान लागू होंगे।

हम जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा चाही गयी सामग्री हमारे द्वारा दी गई दरों के आधार पर सामग्री की आपूर्ति दिये जाने हेतु सहमत हैं।

हम जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या........... दिनांक......................... में वर्णित सभी शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर फर्म मालिक/पार्टनर

मय सील

वास्ते

फर्म का नाम व पता

फर्म का स्टाम्प